

THE DELHI APPROPRIATION (No.3) BILL, 2015

BILL No. 17OF 2015

THE DELHI APPROPRIATION (No.3) BILL, 2015

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2015-16.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.3) Act, 2015.

issue of

Rs.259,96,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees Two hundred fifty nine crore ninety six lakhs only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See section 2 and 3)

(Rs. In thousands)

SUMS NOT EXCEEDING					
Demand No.	Services and Purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
1	2	3	4	5	
2	General Administration	Revenue	100	..	100
4	Finance	Revenue	300	..	300
6	Education	Revenue	300	..	300
8	Social Welfare	Revenue	200	400	600
10	Development	Revenue	2496100	..	2496100
11	Urban Development and Public Works	Revenue	2200	..	2200
14	Contingency Fund	Capital	100000	..	100000
Total			2599200	400	2599600

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No 3) Bill,2015 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

(Manish Sisodia)

Dy.Chief Minister / Finance Minister

Delhi,

Nov, 2015

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.3) Bill, 2015 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

दिल्ली विनियोग(संख्या 3) विधेयक, 2015

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2015

वर्ष 2015–2016से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- | | |
|---|--|
| संक्षिप्त शीर्षक | 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2015 है। |
| 259,96,00,000/— रुपयों का वर्ष 2015–2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त। | 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो सौ उनसठ करोड छियानबे लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015–2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी। |
| विनियोजन। | 3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी। |

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुपये हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां					
अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	100	00	100
4	वित्त	राजस्व	300	00	300
6	शिक्षा	राजस्व	300	00	300
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व	200	400	600
10	विकास	राजस्व	2496100	00	2496100
11	षहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	2200	00	2200
14	आकस्मिकता निधि	पूंजी	100000	00	100000
	योग		2599200	400	2599600

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2015 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2015, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(मनीष सिसोदिया)
उप-मुख्य मंत्री / वित्तमंत्री

दिल्ली

नवम्बर, 2015